

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

राजस्थान सरकार  
आदेश  
प्रार्थी के "खाता गुरुत्सी" प्रार्थना पत्र पटवारी  
व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार  
नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम  
जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश ( शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है )
1.	रवीमारवैडा	509	लुम्बा फि. अमरा	लुम्बाराम फि. अमराराम

सहायक पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड लोक अदालत पीठ  
जिला राजसमंद एवं  
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक:- 09/10/2025

क्रमांक:- 125/310

- प्रतिलिपि:-
1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
  2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
  3. रक्षित पत्रावली

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर